उत्तराखण्ड सरकार

International Year of Cooperatives 2025

Cooperatives Build a Better World

OUTCOME BUDGET

2025-26

सहकारिता विभाग

उत्तराखण्ड

विषय–सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1–	विषय सूची	
2–	सहकारिता विभाग के कार्यकलापों की संक्षिप्त टिप्पणी	01
3–	सहकारिता का संगठनात्मक ढांचा	02
4–	संस्थागत स्वरुप	03–04
5–	विभाग द्वारा संचालित योजनायें/कार्यक्रमों की सूची	04–05
6–	जिला एवं राज्य सैक्टर की योजनायें	05–11
7–	पूँजीगत् एवं ऋण योजनायें	12
8–	केन्द्र पोषित योजनायें	12–14
9–	नई योजनायें	14
10–	सहकारिता विभाग के लक्ष्य एवं नीतियाँ	15–16
11–	विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल	17
9–	वित्तीय आवश्यकतायें	18
11–	क) कार्यक्रमवार वर्गीकरण	18
12–	(ख) वित्तीय साधनों को स्रोत	18
13–	प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण	18
14–	भौतिक एवं वित्तीय विवरण	19–20
15–	आउटकम बजट प्राप्ति हेतु किये गये प्रयास	21
16–	आउटकम बजट	22–31

सहकारिता विभाग के कार्यकलापों की संक्षिप्त टिप्पणी

सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थायें हैं। वर्तमान में इन्हीं प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, केन्द्रीय एवं शीर्ष सहकारी संघों/समितियों जैसे संस्थानों के माध्यम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से समाज में विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे, दलित और शोषित कमजोर वर्गो के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है तथा गांव–गांव में सहकारी साख सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। सहकारी संस्थाओं ने कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, उपभोक्ता, आवास, मत्स्य डेयरी, बुनकर, प्रशिक्षण तथा औद्यौगिक इकाईयों के निर्माण एवं संचालन के लिए संकल्पित है।

उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा **670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों** (एमपैक्स), **10 जिला सहकारी बैंकों व उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 की कुल 327 बैंक शाखाओं** के माध्यम से सहकारी सदस्यों को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त किये जाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में विभिन्न प्रकार की **कुल 5530 सहकारी समितियाँ/संघ** संचालित है, जिनके द्वारा सहकारी समितियों द्वारा राज्य की आबादी को बहुआयामी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

वर्तमान में वर्ष 2025 को अर्न्तराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 **(IYC-2025)** के रूप में **"Cooperative Build a Better World"** थीम के साथ मनाया जा रहा है। अर्न्तराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 के द्वारा सहकारी समितियों के स्थायी वैश्विक प्रभाव के अतिरिक्त 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनायें यथा पैक्स के सशक्तिकरण हेतु उनका कम्प्यूटरीकरण, प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना, विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भण्डारण योजना, जन सुविधा केन्द्र, जन औषधि केन्द्र, खाद्य सुरक्षा के लिए अन्न भण्डारण योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, पानी समिति, आदि योजनाओं के द्वारा सुदूर क्षेत्रों के सहकारी सदस्यों/जन मानस को सुविधायें प्रदान की जा रही है साथ ही राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से **दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, राज्य समेकित सहकारी विकास योजनान्तर्गत, मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजना, "मुख्यमंत्री मोटर साइकिल टैक्सी योजना, स्टेट मिलेट मिशन, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजनाओं** द्वारा सहकारी सदस्यों की आर्थिकी को सुदृढ़ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही राज्य में सहकारिता आन्दोलन में राज्य की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

सहकारिता विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

निदेशालय/मुख्यालय स्तर	संख्या	मण्डल स्तर	संख्या	जिला स्तर	संख्या
निबन्धक	01	उप निबन्धक	02	जिला सहायक निबन्धक	13
अपर निबन्धक	02	सहायक निबन्धक	02	लेखाकार	02
संयुक्त निबन्धक	04	अपर जिला सहकारी अधिकारी	02	सहायक लेखाकार	13
उप निबन्धक	04	सहकारी निरीक्षक वर्ग–2	04	अपर जिला सहकारी अधिकारी	87
वित्त नियंत्रक	01	लेखाकार	02	सहकारी निरीक्षक वर्ग–2	134
सहायक निबन्धक	02	मिनिस्ट्रीयल	06	राजकीय पर्यवेक्षक	64–मृत संवर्ग
सहायक लेखाधिकारी	02	चालक	02	संग्रह अमीन	35–मृत संवर्ग
वैयक्तिक अधिकारी	01	सहयोगी	06	अन्वेषक कम संगणक	09
अवर अभियन्ता	01			मिनिस्ट्रीयल	26
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	02			चालक	13
वैयक्तिक सहायक	02			सहयोगी	13
अपर जिला सहकारी अधिकारी	06				
सहकारी निरीक्षक वर्ग–2	04				
अन्वेषक कम संगणक	02				
लेखाकार	01				
सहायक लेखाकार	02				
मिनिस्ट्रीयल संवर्ग	13				
चालक	06				
सहयोगी	11				
योग–	**67**		**26**		**409**
सहकारी न्यायाधिकरण	**संख्या**	**सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण**	**संख्या**	**संस्थागत सेवा मण्डल**	**संख्या**
अध्यक्ष (न्यायिक सेवा से)	01	अध्यक्ष (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	01	अध्यक्ष (पदेन, निबन्धक)	
सदस्य	02	सदस्य	03	सचिव (सह0निरी0वर्ग–1)	01
सचिव (उप निबन्धक)	01	सचिव (उप निबन्धक)	01	वैयक्तिक सहायक	01
वैयक्तिक सहायक	01	कम्प्यूटर ऑपरेटर/कनिष्ठ सहायक	01		
कनिष्ठ सहायक	01	चालक	01		
चालक	01	सहयोगी/चौकीदार	01		
सहयोगी/चौकीदार	02				
प्रोसेस सरवर	01				
योग	**10**		**08**		**02**

अतः उपरोक्त ढाँचे के अनुसार सहकारिता विभाग में स्वीकृत पदों की **कुल संख्या 522** हैं।

संस्थागत स्वरूप

(1) शीर्ष सहकारी संस्थायें–

1. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी।
2. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 देहरादून।
3. उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन लि0, प्रेमनगर, देहरादून।
4. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी आवास संघ लि0, काशीपुर उधमसिंहनगर।
5. उत्तराखण्ड राज्य हथकरघा/बुनकर एवं हस्तशिल्प सहकारी संघ लि0 काशीपुर।
6. उत्तराखण्ड भेड़, बकरी शशक पालक को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0।
7. उत्तराखण्ड प्रादेशिक को–ऑपरेटिव यूनियन लि0 देहरादून।
8. उत्तराखण्ड कुक्कुट एवं पशुपालन सहकारी संघ लि0।
9. उत्तराखण्ड लेबर कॉन्ट्रेक्ट को–आपरेटिव फेडरेशन लि0 देहरादून।
10. उत्तराखण्ड सहकारी सेब उत्पादन एवं विपणन संघ लि0।
11. उत्तराखण्ड उपभोक्ता सहकारी संघ लि0।
12. उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि0।
13. उत्तराखण्ड राज्य ग्रामोदय सहकारी संघ लि0।
14. उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम लि0।

(2) केन्द्रीय सहकारी संस्थायें –

01- जिला सहकारी बैंक –	10
02- जिला सहकारी बैंको की शाखायें–	312
03- जिला केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्ड़ार–	06
04- जिला सहकारी संघ –	07
05- अन्य केन्द्रीय समितियाँ–	83

(3) प्रारम्भिक सहकारी समितियां–

1.	कृषि सह0 समि0	228
2.	कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक सह0 समि0	89
3.	मधुमक्खी पालन	5
4.	उपभोक्ता सह0 समि0	91
5.	क्रेडिट और थ्रिफ्ट सह0 समि0	132
6.	डेयरी सह0 समि0	2816
7.	शैक्षिक एवं प्रशिक्षण सहकारी समितियां	1
8.	मत्स्यजीवी सह0 समि0	291
9.	हस्तशिल्प सहकारी समिति	8
10.	हथकरघा कपड़ा और बुनकर सहकारी समिति	47
11.	गृह निर्माण सह0 समि0	94
12.	श्रम सह0 समि0	425
13.	पशुधन एवं मुर्गीपालन सह0 समि0	215

14.	विपरण सह0 समि0	257
15.	विविध गैर–क्रैडिट सह0 समि0	41
16.	बहु0 सह0 समि0	18
17.	प्राथमिक कृषि ऋण समि0	671
18.	रेशम समि0	29
19.	समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक सह0 समि0	13
20.	चीन मिल समि0	10
21.	पर्यटन सहकारी समि0	11
22.	परिवहन सह0 समि0	25
23.	जनजातीय एस0सी0/एस0टी0 सह0 समि0	5
24.	नगरीय सह0 बैंक	6
25.	महिला कल्याण सह0 समि0	2
	योग	**5530**

इस प्रकार राज्य में कुल 14 शीर्ष सहकारी संस्थायें, 341 केन्द्रीय समितियां एवं कुल 5530 प्राथमिक सहकारी समितियां निबन्धित है।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची

- **जिला सेक्टर योजनायें**
  - ❖ सहकारी ऋण एंव अधिकोषण योजना।
  - ❖ सहकारी क्रय–विक्रय योजना।
  - ❖ सहकारी उपभोक्ता योजना।
- **राज्य सेक्टर योजनायें**
  - ❖ सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एंव प्रचार–प्रसार योजना।
  - ❖ पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक परिवहन पर राज सहायता।
  - ❖ दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना।
  - ❖ राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु कार्यक्रम निदेशालय संचालन हेतु अनुदान।
  - ❖ उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0, द्वारा मिलेट्स मिशन योजना।
  - ❖ पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेप के लिए निक्षेप गारन्टी योजना (कॉरपस फण्ड)।
  - ❖ राज्य सहकारी परिषद् की स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय सहायता।
  - ❖ सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु अनुदान।
  - ❖ जन औषधि केन्द्र की स्थापना।
  - ❖ मोटर, साईकिल–टैक्सी हेतु सब्सिडी।
  - ❖ सहकारी क्षेत्र विकास (राठ विकास अभिकरण)।
  - ❖ राज्य समेकित सहकारी विकास योजनान्तर्गत अनुदान।
  - ❖ बंजर भूमि को सामूहिक कृषि मॉडल में विकसित किया जाना।
  - ❖ सहकारी बैंक की अंशपूंजी में निवेश हेतु।

- ❖ किसान समृद्धि कार्ड योजना के माध्यम से दुर्घटना बीमा सुविधा।

- **पूँजीगत् योजनायें**
  - ❖ निबन्धक कार्यालय भवन निर्माण हेतु अनुदान।
- **ऋण योजनायें**
  - ❖ उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 हेतु कार्यशील पूंजी।
  - ❖ राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु एन0सी0डीसी0 द्वारा ऋण।
  - ❖ काशीपुर में शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण।
- **केन्द्र पोषित योजनायें**
  - ❖ पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र पोषित) 90: केन्द्रांश।
  - ❖ निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर के लिए 100: केन्द्रांश।
  - ❖ निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु केन्द्रांश (90:)।
  - ❖ पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र पोषित) 10: राज्यांश।
  - ❖ निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु राज्यांश (10%)।
- **नई योजनायें**
  - ❖ उत्तराखण्ड को–ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन को सीड कैपटल हेतु आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में।
  - ❖ मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना।

II जिला सेक्टर योजनायें II

क– सहकारी ऋण एंव अधिकोषण योजना–

समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को उपेक्षित न रहने देने के उददेश्य से सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले ऋण वितरण लक्ष्यों मे से 30 प्रतिशत् ऋण वितरण लक्ष्य इसी वर्ग को वितरित किये जाने हेतु लक्ष्य आवंटित कियेज जाते हैं। राज्य में 01 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक, 10 जिला सहकारी बैकों एवं 05 नगरीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी दोनो क्षेत्रों की आबादी को सहकारिता से जोडते हुये सुलभ बैंकिंग सेवाये प्रदान की जा रही हैं। राज्य में सहकारिता के माध्यम से निबन्धित वेतनभोगी सहकारी समितियों के द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की मुख्य मदें निम्नलिखित हैः–

1. **पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कॉमन कैडर अनुदान–**

   वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों में नियुक्त कैडर सचिवों को वेतन देने में समिति एंव बैंक का अंशदान जो कुल वितरित ऋण का 1.50 प्रतिशत एंव 0.50 प्रतिशत होता है, से अधिक जितनी धनराशि भुगतान की जाती है, की प्रतिपूर्ति इस योजना से की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस मद् में जनपदों के अनुसार रु0 **584.69 लाख** का वास्तविक व्यय हुआ है। वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में इस मद हेतु आय–व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्राविधानित है।

2. **अनुसूचित जाति एंव जनजाति के सदस्यों को अंशक्रय हेतु ब्याज रहित ऋण/अनुदान–**

वर्तमान में समिति सदस्य बनने हेतु उक्त मद में अधिकतम 100 रूपये (50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण, 50 प्रतिशत अनुदान) नये सदस्य को दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आय–व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

3. **अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को ब्याज पर राहत हेतु अनुदानः–**

वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज पर राहत दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त मद में जनपदों के अनुसार **रू0 20.00 लाख** का प्राविधान हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

4. **प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदानः–**

वर्तमान में समितियों को वर्ष दौरान ऋण वितरण के सापेक्ष होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त मद में जनपदों के अनुसार **रू0 0.00 लाख** का प्राविधान हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

5. **प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को ग्रामीण बचत केन्द्र की स्थापना हेतु प्रबन्धकीय एंव साज–सज्जा अनुदान–**

वर्तमान में जिन प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों **(एमपैक्स)** में ग्रामीण बचत केन्द्र संचालित किये गये हैं, उन्हे तीन वर्ष तक 10,000.00 रू0 प्रति वर्ष की दर से प्रबन्धकीय अनुदान एंव रू0 30,000.00 रू0 साज–सज्जा हेतु अनुदान केवल एक बार प्रदान किया जाता है। उक्त योजना द्वारा समितियों को स्वाश्रयी बनाने जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त मद में **रू0 4.01 लाख** का वास्तविक व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

ख– सहकारी क्रय–विक्रय योजना–

कृषकों को उनके गांव के निकट कृषि उपज के क्रय–विक्रय का उचित प्रबन्धन करके उन्हें उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने तथा कृषकों को विभिन्न बाजारी कुरीतियों तथा शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु यह योजना विभाग द्वारा कार्यान्वित की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं –

1. **पैक्स के क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्वार/मरम्मत हेतु अनुदान–**

पैक्स को आगणन के आधार पर क्षतिग्रस्त गोदाम के जीर्णोद्वार/मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त मद में जपपदों के अनुसार **रू0 96.84 लाख** का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

2. **क्रय–विक्रय समितियों को पुर्नस्थापना हेतु अनुदान–**

दुर्बल क्रय–विक्रय समितियों को केवल एक बार पुर्नस्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त मद में जनपदों के अनुसार **रू0 30.00 लाख** का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

3. पैक्स को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान–

पैक्स को आगणन के आधार पर गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त मद में जनपदों के अनुसार **रू0 145.28 लाख** का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

4. क्रय–विक्रय समितियो के कर्मचारियो के वेतन हेतु अनुदान–

क्रय–विक्रय समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त मद में जनपदों के अनुसार प्राविधान नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

5. **लैम्पस/पैक्स के ग्रामीण गोदाम भवनों के सुरक्षा हेतु बाउन्ट्रीवॉल लगाने हेतु अनुदानः–**

लैम्पस/पैक्स के ग्रामीण गोदाम भवनों के सुरक्षा हेतु बाउन्ट्रीवॉल लगाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त मद में जनपदों के अनुसार **रु0 0.00 लाख** का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

6. **पैक्स के नवनिर्मित गोदाम तक पहुँचने हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु अनुदान–**

पैक्स के नवनिर्मित गोदाम तक पहुँचने हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण हेत वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में प्राविधान नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

(ग) सहकारी उपभोक्ता योजना–

इस योजना का प्रारम्भ आर्थिक जटिलता तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कृत्रिम अभाव को समाप्त करने एंव उनकी निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने तथा उच्च गुणवत्ता वाली दैनिक विशुद्व उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। उत्तराखण्ड की विशेष आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का सूत्रपात बढ़ती हुई कीमतों को रोकने तथा उपभोक्ताओं को शुद्व एंव उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। उपभोक्ता भण्डारों तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से स्थानीय जनता को निरन्तर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं –

1. केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार–चढाव निधि हेतु अनुदान–

वर्तमान में केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/जिला सहकारी संघों को बाजार से प्रतिस्पर्धात्मक दर सुनिश्चित करवानें हेतु उन्हें वर्ष मूल्य उतार–चढ़ाव निधि जिसका उपयोग बाजार दर में गिरावट आने पर संघों/भण्डारों को जो हानि होती है, उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदों के अनुसार उक्त मद में **रू0 0.40 लाख** का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

2. केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/लीड समितियों/जिला सहकारी संघों को यातायात अनुदान–

सहकारी उपभोक्ता भण्डार/लीड समितियां/जिला सहकारी संघ जो कि विकास खण्ड स्तर पर लीड समिति के रूप में कार्य कर रही है, उन्हें यातायात अनुदान मदों में रु0 25000/– की दर से अनुदान

दिया जाता है जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में विशेष वृद्वि न हो और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति निरन्तर सुनिश्चित हो सके। वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदों के अनुसार उक्त मद में **रू0 0.50 लाख** का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

3. पैक्स/लैम्पस को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान –

पैक्स/लैम्पस जो कि विकास खण्ड स्तर पर कार्य कर रही है उन्हें रु0 5000/– की दर से यातायात अनुदान दिया जाता है, जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में विशेष वृद्वि न हो और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति निरन्तर सुनिश्चित हो सके। वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदों के अनुसार उक्त मद में **रू0 1.05 लाख** का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

4. जिला विकास संघ के सचिवों के वेतन हेतु राहत अनुदान–

आर्थिक स्थिति से कमजोर संघ के सचिव के वेतन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदों के अनुसार उक्त मद में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

5. जिला भेषज एवं सहकारी विकास सघं लि0 निर्माण व मशीने क्रय हेतु अनुदान–

जिला भेषज एवं सहकारी विकास सघं लि0 निर्माण व मशीने क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदों के अनुसार उक्त मद में **रू0 7.50 लाख** व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर प्रावधानित है।

II राज्य सेक्टर योजनायें II

01- सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एंव प्रचार–प्रसार योजना–

राजकीय/संस्थागत कर्मचारियों एंव अधिकारियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का कार्य राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड प्रादेशिक को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, देहरादून के माध्यम से कराया जा रहा है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022–23 में 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम आहूत किये जा चुके हैं, जिस हेतु उक्त मद में **रू0 5.04 लाख** का व्यय किया गया है। विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभाग के क्रियाकलापों में दक्षता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में 10 प्रशिक्षंण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 350 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में **रू0 20.00 लाख** की धनराशि प्राविधानित की गयी है।

02- कृषि निवेश आपूर्ति एंव वितरण योजनान्तर्गत उर्वरक परिवहन पर राज सहायता–

उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्रों में बिक्री केन्द्र रेल हैड से इतने अधिक दूर है कि, यदि उनमें सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत उर्वरक आपूर्ति की जाय तो दूरस्थ क्षेत्रों में उर्वरक की कीमतों में अत्यधिक वृद्वि हो जायेगी एंव शासन की नीति के अनुसार एक ही दर पर समस्त स्थानों पर उर्वरक बिक्री नहीं की जा सकती है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रेल हैड से समिति बिक्री केन्द्रों तक उर्वरक आपूर्ति में जो व्यय आता है उसमें 10 रूपये प्रतिटन परिवहन व्यय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। अवशेष धनराशि शासन से अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उर्वरक ढुलान की दरो में वृद्वि होने के कारण मैदानी क्षेत्रो में उर्वरक वितरण पर परिवहन अनुदान दिया जाना आवश्यकीय हैं, ताकि कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुरुप उर्वरक वितरित किया जा सके। योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रो की भांति मैदानी

क्षेत्रो में भी उर्वरक परिवहन पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना काश्तकारों/कृषकों से सीधी जुडी हुई है, जिससे उनके स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त मद में **रू0 211.00 लाख** का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रदेश के लगभग 252000 कृषकों को लगभग 246120 मै0टन उर्वरक वितरित किये जाने हेतु आय व्ययक में **रू0 150.00 लाख** की धनराशि प्राविधानित है।

03- **पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेप के लिए निक्षेप गारन्टी योजना कारपस फण्ड–**

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में बैंकिंग प्रवृत्ति को बढावा देने तथा प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उनमें मिनी बैकों का गठन किया गया है। मिनी बैंक/पैक्स में जमाकर्ताओं के विश्वास को बनाये रखने के लिए निक्षेप बीमा निधि बनाई गई है जिसमें सहकारी समितियां, जिला सहकारी बैंक तथा शीर्ष सहकारी बैंक का अंशदान होगा चूंकि सहकारी समितियां बैंक नहीं हैं। अतः इस प्रकार जमा की गई धनराशि की गारन्टी बीमा के माध्यम से होना सम्भव नहीं है। इस कठिनाई के निराकरण हेतु एक गारन्टी योजना बनाई गई है जिस मिनी बैंक निक्षेप गारन्टी योजना का नाम दिया गया है। निक्षेप गारन्टी फण्ड़ में वर्ष दौरान निक्षेप वृद्धि के आधार पर 0.15 प्रतिशत अंशदान सहकारी समिति, 0.10 प्रतिशत अंशदान जिला सहकारी बैंकों, 0.05 प्रतिशत अंशदान शीर्ष सहकारी बैंक तथा 0.30 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में उक्त याजनान्तर्गत धनराशि **रू0 20.00 लाख** का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रदेश के ग्रामीण बचत केन्द्रों की कुल जमा धनराशि की गारन्टी हेतु **रू0 20.00 लाख** की धनराशि प्राविधानित है।

4. **राज्य सहकारी परिषद हेतु वित्तीय सहायता–**

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य में (11) सदस्य समिति उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद गठन किया गया है। परिषद् का मुख्य उद्देश्य सहकारिता की समीक्षा करना एवं सहकारी समितियों की क्रिया– कलापों में समन्वय स्थापित करना, सहकारिता के विकास हेतु मार्गदर्शन देना, वर्तमान योजनाओं का मूल्यांकन एवं सहकारी विकास की नई योजनाओं को सुझाना जिसके माध्यम से पिछडे वर्ग एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों का विकास हो सके। उक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में परिषद का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू0 40.00 लाख** का बजट प्राविधान किया गया है। प्राविधानित धनराशि में से शासन द्वारा **रू0 20.00 लाख** अवमुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में उक्त योजना के संचालन हेतु धनराशि **रू0 50.00 लाख** प्राविधानित की गयी है।

5. सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु राज सहायताः–

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् शासनादेश के द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी संस्थागत सेवामण्डल का गठन किया गया है। सहकारी संस्थागत सेवामण्डल द्वारा आवश्यकीय कार्य निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरखण्ड के कार्यालय स्टाफ के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे हैं। सहकारी संस्थागत सेवामण्डल के लिए भवन किराया, कार्यालय, कार्य सम्पादन हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रू0 10.00 लाख** धनराशि का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में इस योजना हेतु में **रू0 15.00 लाख** की धनराशि प्राविधानित है।

6. **दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (सामान्य/अनु0जाति/अनुजनजाति)–**

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से संचालित **दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना** के अन्तर्गत रू0 3.00 लाख तक का अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण एवं स्वयं सहायता समूहों को रू0 5.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त योजनान्तर्गत कुल **रू0 4503.57 लाख** की धनराशि ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में वितरित की गयी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय व्ययक में **रू0 8500.00 लाख** की धनराशि प्राविधानित है।

7. राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के संचालन हेतु वित्तीय सहायताः–

सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं पूर्ण सुधारात्मक उपायों हेतु राज्य में संचालित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना मुख्य परियोजना निदेशक, कार्यक्रम निदेशालय, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के कार्यालय संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रू0 350.00 लाख** की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त मद में **रू0 576.00 लाख** का बजट प्राविधान किया गया है।

8. **राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु एन0सी0डी0सी0 द्वारा अनुदान के रुप मेंः–**

राज्य में पलायन रोकने एवं कृषकों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से एन0सी0डी0सी0 द्वारा वित्त पोषित **राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना** के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुदान स्वरुप वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में इस योजना अन्तर्गत धनराशि **रू0 3882.93 लाख** का व्यय का किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–25 में इस योजना हेतु अनुदान स्वरूप आय–व्ययक में **टोकन मनी रू0 1.00 हजार** का बजट प्राविधान किया गया है।

9. **मिलेटस मिशन योजनाः–**

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 772/xxi-1/2021-01(25) दिनाँक 13 मई 2020 में निर्गत निर्देश के क्रम में **मिलेट मिशन योजना** का संचालन किया गया, जिसमें सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0, देहरादून को पर्वतीय मिलेट खरीद कर उत्पादित मिलेट्स व अन्य खाद्यानों का Multigrain Processing Unit में प्रसंस्करण कर बॉय–प्रोडक्ट तैयार कर विक्रय करने की योजना तैयार की जा रही है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त होने के साथ–साथ दोहरा लाभ होगा। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस मद में **रू0 67.03 लाख** का व्यय का किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय–व्ययक में **रु0 50.00 लाख** का बजट प्राविधान किया गया है।

10. मोटर साईकिल टैक्सी योजनाः–

शासन के पत्र संख्या–686 दिनांक 19 अक्टूबर 2020 के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–318 दिनांक 08 जुलाई 2020 के क्रम में **मोटर साईकिल टैक्सी योजनान्तर्गत** लाभार्थियों को मोटर साईकिल क्रय किये जाने 02 वर्षो का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जाता है। गत् वर्षो में वितरित ऋण एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में वितरित किये जाने वाले ऋण वितरण के **सापेक्ष ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु** वित्तीय वर्ष 2024–25 के विभागीय आय–व्ययक के माध्यम से **रू0 25.00 लाख** की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जिसके सापेक्ष **रू0 6.99 लाख** का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु आय–व्ययक में **रु0 15.00 लाख** का बजट प्राविधान किया गया है।

11. एमपैक्स के माध्यम से जन औषधि केन्द्र की स्थापनाः–

एमपैक्सों के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) अन्तर्गत सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए **जन औषधि केंद्र** के रूप में विभिन्न ऑउटलेट्स खोले गए हैं। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत् एमपैक्स **"जन औषधि केन्द्र'** के माध्यम से **समिति सदस्यों**/आम जन मानस **को अपने निकटवर्ती स्थान पर ही** सस्ती कीमत वाली गुणवत्ता पूर्ण दवाईयां (जेनरिक दवाईयां) व अन्य मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराकर आम जनमानस के चिकित्सा व्यय को कम करने का प्रयत्न किया जायेगा साथ ही एमपैक्स के व्यवसाय में भी विविधता होने के फलस्वरुप एमपैक्स की आय में वृद्धि होना निश्चित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुपूरक बजट के

माध्यम से धनराशि रू0 50.00 लाख प्राविधानित की गयी, प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 12.00 लाख** का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजनान्तर्गत **टोकन मनी रू0 1.00 हजार** प्रस्तावित है।

12. सहकारी क्षेत्र विकास (राठ विकास अभिकरण):–

जनपद पौडी गढ़वाल के थलीसैण क्षेत्र में राठ विकास अभिकरण का गठन किया गया है। इस क्षेत्र में पशुपालन, मतस्य पालन, कुक्कुट पालन, कृषि आदि गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में **टोकन मनी रू0 1.00 हजार** प्रस्तावित की गयी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में धनराशि **रू0 15.60 लाख** का प्राविधान किया गया है।

13. **किसान समृद्धि कार्ड योजना के माध्यम से दुर्घटना बीमा सुविधाः–**

सहकारिता से जुड़े सभी सदस्यों के परिवारों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुर्घटना पर रू0 15.00 लाख का बीमा किया जाना प्रस्तावित है। सहकारिता में अनुमानतः 20 लाख सदस्य है, जिनका रू0 15.00 लाख दुर्घटना बीमा किये जाने पर प्रति सदस्य एक वर्ष का रू0 600. 00 का प्रीमियम देय होगा। प्रथम प्रीमियम राज्य सरकार से किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए **टोकन मनी रू0 1.00 हजार** प्रस्तावित है।

14. बंजर भूमि को सामूहिक कृषि मॉडल हेतुः–

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के द्वारा राज्य में पलायन/अन्य कारणों से खाली हुयी कृ षि योग्य बंजर भूमि को फिर से जीवन्त करने हेतु सहकारी सामूहिक खेती के माध्यम से गतिविधि संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम को सभी विकासखण्डों में विस्तारीकरण करते हुए 50 एकड़ कृषि भूमि/परित्यक्त/अनुपयुक्त भूमि को किसानों के लीज पर लिये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025–26 में **कुल रू0 200.00 लाख** का प्राविधान किया गया है।

15. सहकारी बैंक की अंशपूंजी में निवेश हेतुः–

राज्य में संचालित राज्य एवं जिला सहकारी बैंकों में रक्षित अंशधन कम होने के कारण उक्त बैंकों का अधिकतम दायित्व आशतीत् न होने के कारण नाबार्ड एवं अनय वित्त पोषित संस्थाओं से आवश्यकतानुरूप ऋण लिये जाने में कठिनायी उत्पन्न हो रही है। जिस कारण उक्त बैंकों के व्यवसाय में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत् राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों में अंशधन के रूप में धनराशि विनियोजित की जानी प्रस्तावित है, ताकि सहकारी बैंकों द्वारा राज्य सरकारी की विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी बैंक ग्राहको को प्रदान किया जा सके। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए **टोकन मनी रू0 1.00 हजार** प्रस्तावित है।

16. राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान :–

सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं पूर्ण सुधारात्मक उपायों हेतु राज्य में संचालित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना मुख्य परियोजना निदेशक, कार्यक्रम निदेशालय, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत वितरित ऋण के सापेक्ष अनुदान देयता हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त मद के लिए **टोकन मनी रू0 1.00 हजार** प्रस्तावित है।

II पूँजीगत योजनायें II

01- **निबन्धक कार्यालय वृहद निर्माण हेतु (4425–सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय):–**

सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन कार्यालय आदेश संख्या 715/xiv-1/19-9(1)2010, दिनाँक 25 अक्टूबर, 2019 के क्रम में निबन्धक, सहकारी समिति के कार्यालय अल्मोड़ा को जनहित एवं शासकीय हित में उक्त स्थान से मुख्यालय देहरादून स्थानान्तरित किया गया है। देहरादून में मुख्यालय का कार्यालय स्थापित करने हेतु कार्यालय का निर्माण, साज सज्जा अन्य व्यवस्थायें किये जाने के दृष्टिगत् वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रू0 0.01 हजार** टोकन मनी स्वरूप प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त मद हेतु **रू0 2000.00 लाख का** प्राविधान किया गया है।

02- **समितियों की अंशपूंजी में विनियोजन (एन0सी0डी0सी0) (4425):–**

राज्य में पलायन रोकने एवं कृषकों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से एन0सी0डी0सी0 द्वारा वित्त पोषित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत समितियों की अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु ऋण स्वरुप आय–व्ययक में **टोकन मनी रू0 1.00 हजार** का बजट प्राविधान किया गया है।

II ऋण योजनायें II

01- **राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु एन0सी0डीसी0 द्वारा ऋण (6425):–**

राज्य में पलायन रोकने एवं कृषकों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से एन0सी0डी0सी0 द्वारा वित्त पोषित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस मद में **रू0 10000.00 लाख** का व्यय का किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद हेतु ऋण स्वरुप आय–व्ययक में **टोकन मनी रू0 1.00 हजार** का बजट प्राविधान किया गया है।

02- **उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 हेतु कार्यशील पूंजी (6425):–**

राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, हेतु अपने व्यवसाय में वृद्वि करने एवं कार्य–व्यवसाय बढाये जाने हेतु में **रू0 0.01 हजार** टोकन मनी का प्राविधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त मद के अन्तर्गत बजट प्राविधान नहीं किया गया है।

03- **काशीपुर में शापिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण (6425):–**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में काशीपुर, उधमसिंहनगर में शॉपिंग कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु अनुपूरक के माध्यम से ऋण के रूप में धनराशि **रू0 5.75 करोड़** प्राविधानित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त मद के अन्तर्गत बजट प्राविधान नहीं किया गया है।

II केन्द्र पोषित योजनायें II

1. **पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र पोषित) 90% केन्द्रांश:–**

भारत सरकार द्वारा पैक्स कम्पयूटरीकरण हेतु 90 प्रतिशत केन्दांश वैबकैम, वी0पी0एन0, आधार डिवाईस क्रय, प्रशिक्षण, डाटा प्रीपेरेशन डिजिटलाईजेशन, मरम्मत, हैण्ड होल्डिंग आदि कार्य किये जाने हेतु अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुपूरक सहित कुल धनराशि **रू0 521.91 लाख** प्राविधानित की गयी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजनान्तर्गत **रू0 135.01 लाख** प्राविधान की जा रही है।

2. **पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र पोषित) 10% राज्यांशः–**

भारत सरकार द्वारा पैक्स कम्पयूटरीकरण हेतु 90 प्रतिशत केन्दांश वैबकैम, वी0पी0एन0, आधार डिवाईस क्रय, प्रशिक्षण, डाटा प्रीपेरेशन डिजिटलाईजेशन, मरम्मत, हैण्ड होल्डिंग आदि कार्य किये जाने हेतु अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुपूरक के माध्यम से धनराशि **रू0 62.09 लाख** प्राविधानित की गयी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजनान्तर्गत **रू0 15.01 लाख** प्राविधान की जा रही है।

3. **निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर के लिए 100% केन्द्रांशः–**

निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किये जाने के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु एन0सी0डी0सी नई दिल्ली को नोडल ऐजेन्सी बनाया गया है व राज्य कार्यालय को चाईल्ड ऐजेन्सी बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में **टोकन मनी रू0 3.00 हजार** का बजट प्राविधान किया गया है।

4. **निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु केन्द्रांश (90%):–**

निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु क्लाउड आधारभूत संरचना, सॉफ्टवेयर मरम्मत, कम्पयूटर, प्रींटर, यूपीएस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुपूरक सहित कुल धनराशि **रू0 31.83 लाख केन्द्रांश** के रूप में प्राविधानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजनान्तर्गत धनराशि **रू0 25.91 लाख केन्द्रांश** का बजट प्राविधान किया गया है।

5. **निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु राज्यांश (10%):–**

निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु क्लाउड आधारभूत संरचना, सॉफ्टवेयर मरम्मत, कम्पयूटर, प्रींटर, यूपीएस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुपूरक सहित कुल धनराशि **रू0 03.54 लाख केन्द्रांश** के रूप में प्राविधानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजनान्तर्गत धनराशि **रू0 02.88 लाख केन्द्रांश** का बजट प्राविधान किया गया है।

6. **विभागीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर/पोर्टल के Cloud Infrastructure हेतु केन्द्रांश (90%)**

सहकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा Strengthing of Cooperative through Interventions परियोजना अन्तर्गत देश के समस्त राज्यों के प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय विभागीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल हेतु सॉफ्टवेयर/पोर्टल के **Cloud Infrastructure** हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त मद में टोकन मनी के रुप में मात्र **रु0 01.00** हजार का प्राविधान किया गया है।

7. **विभागीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर/पोर्टल के Cloud Infrastructure हेतु राज्यांश (10%)**

सहकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा Strengthing of Cooperative through Interventions परियोजना अन्तर्गत देश के समस्त राज्यों के प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय विभागीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल हेतु सॉफ्टवेयर/पोर्टल के **Cloud Infrastructure** हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त मद में टोकन मनी के रुप में मात्र **रु0 01.00** हजार का प्राविधान किया गया है।

8. **विभागीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर/पोर्टल की मरम्मत हेतु केन्द्रांश (90%)**

सहकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा Strengthing of Cooperative through Interventions परियोजना अन्तर्गत देश के समस्त राज्यों के प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय विभागीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल

के माध्मय से कार्य किये हेतु तैयार किये जाने वाले सॉफ्टवेयर/पोर्टल की **मरम्मत** हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त मद में टोकन मनी के रुप में मात्र **रु0 01.00** हजार का प्राविधान किया गया है।

9. विभागीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर/पोर्टल की मरम्मत हेतु राज्यांश (10%)

सहकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा Strengthing of Cooperative through Interventions परियोजना अन्तर्गत देश के समस्त राज्यों के प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय विभागीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल के माध्मय से कार्य किये हेतु तैयार किये जाने वाले सॉफ्टवेयर/पोर्टल की **मरम्मत** हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त मद में टोकन मनी के रुप में मात्र **रु0 01.00** हजार का प्राविधान किया गया है।

II नई योजनायें II

नई माँग– 01:– उत्तराखण्ड को–ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन को रिवोल्विंग फन्ड हेतु ब्याज रहित ऋण (6425):–

रेशम फेडरेशन के माध्यम से रेशम उत्पादन, रेशम रिलिंग, वस्त्र बुनाई, परिधान निर्माण आदि हेतु अधिक से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में रिवाल्विंग फण्ड हेतु रू 2.00 करोड़, प्राकृतिक रेशों के यार्न हेतु रू0 2.00 करोड़, प्रचार–प्रसार रू0 30.00 लाख, विक्रय केन्द्रों की स्थापना हेतु रू0 40.00 लाख, क्रेता विक्रेता सम्मेलन हेतु रू0 30.00 लाख, कुल **रू0 5.00 करोड़** प्राविधानित है।

नई माँग– 02:– मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना:–

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के पर्वतीय जिलों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर साईलेज/हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु धनराशि **रू0 20.00 करोड़ मात्र** प्राविधानित की गयी है। वर्तमान में यह योजना विभाग द्वारा संचालित की जानी है।

सहकारिता विभाग के लक्ष्य एवं नीतियाँ

वित्तीय वर्ष 2024–25 में अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण वितरण हेतु क्रमशः रू0 155000.00 लाख तथा रू0 35000.00 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में रू0 129595.00 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार क्रय–विक्रय योजनान्तर्गत 15250 कुन्तल प्रमाणित बीज तथा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 108000 मै0टन गेहूँ एवं 188000 मै0टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से रू0 16800 लाख के उपभोक्ता व्यवसाय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभागीय प्रमुख नीति में कृषि उत्पादन बढाने हेतु कम दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ कृषकों को समय पर बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक भी उपलब्ध कराना है। जिला सहकारी बैंक की बैंक शाखायें एवं **बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि0 (एमपैक्स)** द्वारा अपने सदस्यों को कृषि व कृषियेत्तर कार्यों हेतु ऋण शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषकों की उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु मुल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सरकारी दर पर सुविधा प्रदत्त उपज खरीद की जाती है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ता योजना चलायी जा रही है।

:–प्रक्रियात्मक सुधार एवं नवान्वेषी कार्य–:

- राज्य में सहकारिता आन्दोलन में राज्य की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल में महिलाओं हेतु **33 प्रतिशत पद आरक्षित** किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- राज्य के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु **Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)** के माध्मय से **कुल 225 पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी, जिसके सापेक्ष कुल 164 विभिन्न पदों पर अभ्यर्थिओं का चयन किया गया।**
- एमपैक्सों को **"जन सुविधा केन्द्र"** के रूप में विकसित कर 300 से अधिक ई–सर्विस समिति स्तर पर ही प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के 670 पैक्स में से **639 पैक्स Common Service Centre (CSC)** के रूप में कार्यशील हो गये हैं।
- राज्य में कुल **21 एमपैक्स "जन औषधि केन्द्र'** के माध्यम से समिति सदस्यों/आम जन मानस को सस्ती कीमत वाली गुणवत्ता पूर्ण दवाईयां (जेनरिक दवाईयां) व अन्य मेडिकल सामग्री उपलब्ध करा रही हैं।
- सहकारिता मंत्रालय द्वारा **सहकारिता से समृद्धि** के दृष्टिकोण के अनुरूप देश की **अनाच्छादित ग्राम पंचायतो में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियो के गठन** सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत **163 नई** बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है।
- **"सहकार से समृद्वि"** के ध्येय वाक्य के अन्तर्गत सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नेशनल कॉ–ऑपरेटिव डाटाबेस के अन्तर्गत राज्य की **कुल 5530 सहकारी समितियों** का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

- प्रदेश की **466** एमपैक्सों को **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र** के रूप में परिवर्तित कर उर्वरक, बीज कीटनाशक, छोटी कृषि मशीनरी कृषि इनपुट की एक विविध श्रृंखला स्थापित करने के साथ ही मिट्टी एवं बीज के परीक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भण्डारण योजना के लिए उत्तराखंड राज्य के **बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सहसपुर जिला देहरादून** की 0.75 एकड़ भूमि पर लगभग 500 मैट्रिक टन की रू0 1.28 करोड़ लागत से गोदाम का निर्माण किया गया है।
- विभागीय कार्यो में मार्डन एवं एमरजिंग टैक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में सहकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा **Strengthing of Cooperative through Interventions** परियोजना अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय विभागीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है।
- राज्य की **समस्त 670 एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण** किये जाने हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना संचालित की जा रही है जिसके माध्यम से समिति कार्यों में पारदर्शिता होने के साथ ही समिति अभिलेखों का भी डिजिटलीकरण किया जायेगा।
- ग्राम सभा स्तर पर पानी पाइपलाइन के संचालन एवं उसके रख–रखाव हेतु राज्य की **कुल 62 एमपैक्सों** को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी समिति के रूप में चयन कर किया गया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई प्रकार की समितियों में राज्य की 473 एमपैक्सों द्वारा **National Cooperative Export Society** की, **503 एमपैक्सों** द्वारा **National Cooperative Organic Society** एवं **501 एमपैक्सों** द्वारा **Bharatiya Beej Sahakari Samiti** की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी है।
- स्वयं सहायता समूहों को प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों से जोड़ते हुये उक्त समूहों को रू0 5.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर कार्मिकों की कार्यक्षमता व दक्षता का विकास किया गया है।

:–विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल–:

- "सहकार से समृद्धि" के ध्येय वाक्य से सहकारिता आन्दोलन को जन–जन तक पहुॅचाना।
- भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय आबादी को उनके द्वारा पर ही विभिन्न सुविधायें यथा जन सुविधा केन्द्र, जन औषधि केन्द्र, भण्डारण योजना आदि प्रदान करना।
- प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में एमपैक्स द्वारा उर्वरक, बीज कीटनाशक, छोटी कृषि मशीनरी कृषि इनपुट की एक विविध श्रृंखला स्थापित करने के साथ ही मिट्टी एवं बीज के परीक्षण की सुविधा भी प्रदान करना।
- कृषकों को ब्याज रहित कृषि एवं कृषियेत्तर ऋण उपलब्ध कराना।
- सहकारी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अकृषक ऋण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- कृषि निवेशों की समय से आपूर्ति।
- कृषकों को उनकी उपज का यथोचित मूल्य दिलवाना।
- सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार का सृजन।
- दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाना।
- प्रारम्भिक समितियों में ग्रामीण बचत केन्द्रों/बैक शाखाओं की स्थापना कर बैंक जनता के द्वार।
- सहकारी समितियो को स्वाश्रयी बनाना।

:–वित्तीय आवश्यकतायें–:

क–कार्यक्रमवार वर्गीकरण

(लाख रूपये में)

मद	2024–25 का व्ययानुमान			2025–26 का आय व्ययक		
	राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
1. सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता	15152.79	10575.03	**25727.82**	11790.52	2500.02	**14290.54**
2. निदेशन तथा/सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रशासन	4206.86	0	**4206.86**	4356.08	0	**4356.08**
योग	**19359.65**	**10575.03**	**29934.68**	**16146.60**	**2500.02**	**18646.62**

ख–वित्तीय साधनों का श्रोत

(धनराशि लाख रूपये में)

मद	2024–25 का व्ययानुमान			2025–26 का आय व्ययक		
	राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
2425–सहकारिता अनुदान संख्या–18 अनुदान संख्या–30 अनुदान संख्या–31	 16859.65 1800.00 700.00		 **16859.65** **1800.00** **700.00**	 13646.60 1800.00 700.00	 - -	 **13646.60** **1800.00** **700.00**
4425–सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या–18 अनुदान संख्या–30 अनुदान संख्या–31	-	0.02	**0.02**	-	2000.01	**2000.01**
6425–सहकारिता के लिये कर्ज अनुदान संख्या–18 अनुदान संख्या–30 अनुदान संख्या–31	-	10575.01	**10575.01**	-	500.01	500.01
योग	**19359.65**	**10575.03**	**29934.68**	**16146.60**	**2500.02**	**18646.62**

प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण

अनुदान संख्या–18

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक	2024–25 का व्ययानुमान			2025–26 का आय व्ययक		
	पूँजीगत	राजस्व	योग	पूँजीगत	राजस्व	योग
2425–001–निदेशन तथा प्रशासन						
03–सामान्य अधिष्ठान एंव अधीक्षण		3902.01	3902.01		4040.52	4040.52
05–सहकारी न्यायाधिकरण	-	210.55	210.55	-	222.61	222.61
06–सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण	-	94.30	94.30	-	92.95	92.95
07– राज्य सहकारी परिषद हेतु	-	40.00	40.00	-	50.00	50.00
योग		**4246.86**	**4246.86**		**4406.08**	**4406.08**

विवरण पत्र–1 भौतिक प्रगति वर्ष 2024–25 (माह जनवरी 2025 तक)

योजना का नाम/मद	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित लक्ष्य
		लक्ष्य	पूर्ति	
1–सहकारी ऋण एंव अधिकोषण योजना–				
अ–अल्पकालीन ऋण वितरण	लाख रू0 में	155000	109473.35	155000
ब–मध्यकालीन ऋण वितरण	लाख रू0 में	35000	20499.53	35000
स–दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना	लाख रू0 में	129595	86613.20	134446.73
द–सदस्यता वृद्वि	संख्या में	100000	40587	100000
य–सदस्यों द्वारा अंशधन वृद्वि	लाख रू0 में	2000	1051.60	2000
2–सहकारी क्रय–विक्रय योजना–				
अ–बीज वितरण	कुन्तल में	15250	0	15250
ब–कृषि उपजों का विक्रय	लाख रू0 में	1110	0	1110
स–गेहूँ खरीद	मै0टन	108000	1248.35	108000
द–धान खरीद	मै0टन	188000	133050.00	188000
3–उपभोक्ता योजना–				
अ–नगरीय क्षेत्र	लाख रू0	11300	5124.10	11300
ब–ग्रामीण क्षेत्र	लाख रू0	4680	3171.97	4680
4–पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक परिवहन पर राज सहायता–				
अ– रासायनिक उर्वरक वितरण	मै0टन	166000	100319.07	166000

विवरण पत्र–2 (वित्तीय)

(धनराशि लाख रू0 में)

सहकारिता विभाग से सम्बन्धित (राजस्व एवं पूँजीगत) योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एंव उनकी उपलब्धि का विवरणः– योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 का आय–व्ययक प्राविधान	वर्ष 2024–25 का सम्भावित व्यय	वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्राविधान
अ–राज्य सेक्टर योजनायें–			
सामान्य अधिष्ठान एंव अधीक्षण	3902.01	3902.01	4040.52
सहकारी न्यायाधिकरण	210.55	210.55	222.61
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण	94.30	94.30	92.95
राज्य सहकारी परिषद हेतु	40.00	40.00	50.00
सहकारी शिक्षा योजना (प्रशिक्षण)	20.00	20.00	20.00
सहकारी कृषि एंव सम्पूर्ति योजना (उर्वरक)	211.00	211.00	150.00
कारपस फण्ड	20.00	20.00	20.00
सहकारी संस्थागत सेवा मंण्डल	20.00	20.00	15.00
दीन दयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना	6000.00	6000.00	6000.00
राज्य समेकित विकास परियोजना के संचालन हेतु	730.30	730.30	576.00
राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत अनुदान	4000.00	4000.00	0.01
मिलेट्स मिशन योजना	67.03	67.03	50.00
बंजर भूमि को सामूहिक कृषि मॉडल में विकसित किया जाना	700.00	700.00	200.00
सहकारी बैंक की अंशपूँजी में निवेश	0.01	0.01	0.01
किसान समृद्धि कार्ड योजना	0.01	0.01	0.01
जन औषधि केन्द्र की स्थापना	50.00	50.00	0.01
मोटर साईकिल टैक्सी योजना अन्तर्गत अनुदान सहायता	25.00	25.00	15.00
सहकारी क्षेत्र विकास (राठ विकास अभिकरण)	0.01	0.01	15.60
निबन्धक कार्यालय हेतु भवन निर्माण	0.01	0.01	2000.00
समितियों की अंशपूँजी में विनियोजन (रा0स0वि0नि0)	0.01	0.01	0.01
राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु ऋण	10000.00	10000.00	0.01
काशीपुर में शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण	575.00	575.00	0.00
स– केन्द्र पोषित योजनाऐं			
पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र पोषित) 90% केन्द्रांश	521.91	521.91	**135.01**
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर के लिए 100% केन्द्रांश	150.00	150.00	**0.03**
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर मरम्मत हेतु केन्द्रांश (90:10)	0.01	0.01	**0.01**
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर डाटा स्टोर हेतु केन्द्रांश (90:10)	0.01	0.01	**0.01**
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु केन्द्रांश (90:10)	31.83	31.83	**25.91**
पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र पोषित) 10% राज्यांश	62.09	62.09	**15.01**
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर मरम्मत हेतु राज्यांश (90:10)	0.01	0.01	**0.01**
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर डाटा स्टोर हेतु राज्यांश (90:10)	0.01	0.01	**0.01**
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु राज्यांश (90:10)	3.54	3.54	**2.88**
दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण किसान कल्याण योजना **(एस0सी0एस0पी0)**	1800.00	1800.00	1800.00
दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण किसान कल्याण योजना **(टी0एस0पी0)**	700.00	700.00	700.00
मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना	0.00	0.00	**2000.00**
उत्तराखण्ड कॉ–ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन को सीड कैपटल हेतु आर्थिक सहायता	0.00	0.00	**500.00**
महायोग–	**29934.68**	**25727.82**	**18646.62**

आउटपुट/आउटकम प्राप्ति हेतु किये गये प्रयास :–

- निर्धारित आउटपुट/आउटकम प्राप्त करने हेतु विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण एवं वित्तीय वर्ष हेतु आंवटित विभिन्न लक्ष्यों की शत्–प्रतिशत् पूर्ति के लिए समय–समय पर विभागीय बैठकों में समीक्षा दौरान कर कृषि ऋण, व्यवसायिक ऋण, स्वरोजगार हेतु ब्याज सब्सिडी, उर्वरक एवं कीटनाशक वितरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षित/निर्देशित किया गया।
- राज्य की समस्त पैक्स बहुउद्देशीय होने के उपरान्त अपने स्थान विशेष के आधार पर सम्भावित व्यवसायिक गतिविधियों का आंकलन कर समिति द्वारा अपना व्यवसाय किया जा रहा है, जिस हेतु समिति को समयान्तर्गत ऋण, अनुदान व अन्य तकनीकि सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

ऑउटकम बजट (Outcome Budget) 2025–26

विभाग का नामः– सहकारिता विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0 –01, 02, 08

धनराशि लाख रु0 में

क्र0सं0	योजना/मद का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		01.04.2024 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2025 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2025–26	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2025–26	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	**निदेशन तथा प्रशासन–03**	अधिष्ठान व्यवस्था	4040.52	0.00	रु0 3176.45 लाख धनराशि वेतन व अन्य विभिन्न मदों आदि में व्यय । निबन्धक अधिष्ठान में कार्यरत 363 कार्मिको वेतन व अन्य अधिष्ठान पर व्यय	रु0 3902.01 लाख धनराशि वेतन व कार्यालय सम्बन्धी अनुमन्य व्यय किया जाना है। निबन्धक अधिष्ठान में कार्यरत	विभाग में स्वीकृत 502 पदों के सापेक्ष कार्यरत 400 विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान व कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान करना।	विभागीय कार्यों एवं योजनाओं के सफल संचालन के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के कार्यकलापों से राज्य की जनता/कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में विशेष सुधार आयेगा।	वार्षिक
2	**निदेशन तथा प्रशासन–05**	अधिष्ठान व्यवस्था	222.61	0.00	रु0 89.81 लाख धनराशि वेतन व अन्य विभिन्न मदों आदि में व्यय । सहकारी न्यायाधिकरण अधिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों `के वेतन व अन्य अधिष्ठान व्यय	रु0 210.55 लाख धनराशि वेतन व कार्यालय सम्बन्धी अनुमन्य व्यय किया जाना है। न्यायाधिकरण अधिष्ठान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन/ मानदेय व कार्यालय संचालन पर व्यय	सहकारी न्यायाधिकरण में न्यायाधीश, सदस्यों तथा न्यायाधिकरण के अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि एवं अन्य सभी अनुमन्य कार्यालय सम्बन्धी व्ययों का भुगतान करना	सहकारी न्यायाधिकरंण उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 के अनुसार गठित सहकारिता विभाग के आदेशों एवं निर्णयों के क्रम में प्राप्त अपीलों की सुनवाई से अपीलार्थियों को सुलभ न्याय प्राप्त होगा।	वार्षिक
3	**निदेशन तथा प्रशासन–06**	अधिष्ठान व्यवस्था	92.95	0.00	रु0 17.51 लाख धनराशि वेतन व अन्य विभिन्न मदों आदि में व्यय । सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण अधिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों `के वेतन व अन्य अधिष्ठान व्यय	रु0 94.30 लाख धनराशि वेतन व कार्यालय सम्बन्धी अनुमन्य व्यय किया जाना है। निर्वाचन प्राधिकरण अधिष्ठान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन/ मानदेय व कार्यालय संचालन पर व्यय	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में शासन द्वारा नामित सदस्यों एवं कार्यालय कर्मचारियेां के वेतन/कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान करना है।	भारत का संविधान 97वें संशोधन के अनुसार गठित निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा राज्य में निर्वाचन योग्य सहकारी संस्थाओं के नियमित निर्वाचन के फलस्वरूप सस्थाओं में प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन किया जायेगा।	वार्षिक
योग			**4356.08**	**0.00**					

राज्य योजनाः–									
4	**राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु**	परिषद का मुख्य उद्देश्य सहकारिता की समीक्षा करना एवं सहकारी समितियों की किया कलापों में समन्वय स्थापित करना	50.00	0.00	सहकारी विकास की नई योजनाओं के कियान्वयन हेतु सहकारी मेले/सहकारी गोष्ठियां एवं प्रकाशन आदि से सहकारिता का प्रचार प्रसार किया जायेगा, जिससे कृषकों एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को मेलों एवं प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय उपजों का बाजार उपलब्ध कराया जायेगा।	केन्द्रसरकार द्वारा निर्गत मॉडल बायलॉज के अनुसार राज्य की एमपैक्सों की उपविधियों में संशोधन कर प्रत्येक एमपैक्स हेतु मॉडल बायलॉज तैयार किये गये, जिस हेतु 2500 प्रतियां प्रकाशित की गयी हैं। साथ ही सहकारी मेले/सहकारी गोष्ठियां/प्रकाशन तथा विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओ के सम्बन्ध में पम्पलेट्स/पुस्तकें आदि का प्रकाशन कर सहकारिता का प्रचार प्रसार किया जायेगा।	सहकारी विकास की नई योजनाओं के कियान्वयन हेतु सहकारी मेले/सहकारी गोष्ठियां/प्रकाशन तथा विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओ के सम्बन्ध में पम्पलेट्स/पुस्तकें आदि का प्रकाशन कर सहकारिता का प्रचार प्रसार किया जायेगा, जिससे कृषकों एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को जागरुक किया जा सके। साथ ही मेलों एवं प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय उपजों का बाजार उपलब्ध कराया जायेगा।	उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 के अन्तर्गत गठित परिषद द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता द्वारा रोजगार परक पहल में स्थानीय स्तर पर सहकारी मेले एवं सहकारी प्रदर्शनियां आयोजित करना।	वार्षिक
5	**सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान**	विभागीय कर्मचारियों व अन्य सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों व कार्मिको को प्रशिक्षित करना	20.00	0.00	रु0 9.71 लाख धनराशि प्रशिक्षण में व्यय की गयी। जिसमें 10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 275 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।	सहकारी समितियों के विभिन्न कार्मिकों को उर्वरक लाइसेन्स, पैक्स कम्प्यूटरीकरण आदि योजनाओं हेतु 15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 350 समिति सचिवों एवं विभागीय कर्मचारियां एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण किये जाने हेतु व्यय किया जाना है।	सहकारी समितियों के विभिन्न कार्मिकों को उर्वरक लाइसेन्स, पैक्स कम्प्यूटरीकरण एवं विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभाग के कियाकलापों में दक्षता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 400 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्दि होगी।	कार्मिकों के प्रशिक्षित होने से उनकी क्षमता अभिवृद्दि होगी जिससे कार्मिकोंं द्वारा विभागीय कार्यो को समय पर निष्पदित करने में सहयोग प्राप्त होगा तथा संस्थाओं के नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से संस्थाओं की कार्यकुशलता में वृद्दि होगी जिसका लाभ जनता को मिलेगा।	वार्षिक
6	**पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक पर राज सहायता**	उर्वरक आपूर्ति हेतु परिवहन अनुदान	150.00	0.00	रु0 125.00 लाख धनराशि कुल 117467.0361 मै0टन उर्वरक वितरण पर परिवहन अनुदान दिया गया, जिससे 3. 10 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए ।	राज्य के लगभग 3.40 लाख कृषकों को कुल 171800.000 मै0टन उर्वरक वितरण पर व्यय किया जाना है।	राज्य के लगभग 345000 कृषकों को कुल 175000.000 मै0टन उर्वरक पर परिवहन अनुदान उपलब्ध कराया जाना है।	उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान दर पर उर्वरक विक्रय हेतु समिति बिक्री केन्द्रो तक उर्वरक आपूर्ति के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के पश्चात प्रदेश के लगभग 345000 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।	वार्षिक

7	**राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के कार्यालय संचालन हेतु**	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय व अन्य व्यावसायिक व्यय	576.00	0.00	रु0 883.30 लाख धनराशि योजनान्तर्गत कार्यालय अधिष्ठान व योजना के संचालन हेतु व्यय की गयी है।	रु0 730.30 लाख धनराशि कार्यक्रम निदेशालय के अधिष्ठान, कार्मिकों के वेतन कार्यो के संचालन व अन्य व्यवसायिक सेवाओं हेतु व्यय किया जाना है।	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय, ऑउटसोर्स कार्मिक एवं वाहयस्रोत से कार्यरत विभिन्न कन्सलटेन्स अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, जो कि कन्सलटेन्सी के रुप मे निदेशालय को दी जाने वाली सेवाओ एवं निदेशालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओ से सम्बन्धित आर0एफ0पी0, टी0ओ0आर0, डी0पी0आर0, ई0ओ0आई0 तथा निष्पादित किये जाने वाले विभिन्न अनुबन्धों के मूल्याकंन एवं सम्भावित विधिक कार्यो को दृष्टिगत रखते हुये होने वाले व्यय व प्रोफेशल फीस का भुगतान किये जाने में व्यय किया जायेगा।	योजना के क्रियान्वयन की स्थिति एवं समय–समय पर अनुरक्षण, व पर्यवेक्षण के साथ ही योजनान्तर्गत वितरित ऋणों की वसूली का विवरण भी उपलब्ध होने हेतु।	वार्षिक
8	**मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के क्रियान्यन/संचालन हेतु अनुदान**	राज्य के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को पैक्ड सायलेज सर्म्पूण मिश्रित पशुआहार उपलब्ध करवाना।	2000.00	0.00	पर्वतीय क्षेत्र में प्रति वर्ष 22000 दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को साईलेज व पशुआहार उपल्ब्ध कराया जा रहा है	पर्वतीय क्षेत्र में प्रति वर्ष 22000 दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को साईलेज व पशुआहार उपल्ब्ध कराया जा रहा है	पर्वतीय क्षेत्र में 25000 मै0टन पशुचार कुल 28000 दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को साईलेज व पशुआहार उपल्ब्ध कराया जायेगा ।	28000 से अधिक पशुपालको को सस्ते मूल्य पर साइलेज व हरा चारा उपलब्ध होगा, जिससे अधिक दुग्ध उत्पादन होगा ।	वार्षिक
9	**बजंर भूमि को सामूहिक कृषि मॉडल में विकसित किया जाना**	कृषकों को बजंर भूमि को वार्षिक अनबन्ध के आधार पर प्राप्त कर कलस्टर के रूप कृषि योग्य विकसित कर सामूहिक कृषि कराना	200.00	0.00	0.00	रु0 700.00 लाख धनराशि से योजनान्तर्गत किसानों की अनुपयोगी कृषि भूमि को माडॅल के रूप में विकसित किया जाना । कार्यालय संचालन हेतु आंवटित की गयी।	20 ग्रामों में कलस्टर तैयार किया जायेगा , जिसके ग्रामीणों की बंजर भूमि किराये पर लेकर उसे कृषि योग्य विकसित किया जायेगा , जिससे ग्रामीणो की आय में वृद्वि होगी।	बजंर भूमि को विकसित कर कृषि योग्य बनाया जायेगा जिससे 5000 किसानों की आय मे वृद्वि होगी ।	

10	**मिनी बैंक निक्षेप गारन्टी योजना(कारपस फण्ड)**	ग्रामीण बचत केन्द्रों को हानि की प्रतिपूर्ति करना	20.00	0.00	रु0 20.00 लाख धनराशि समस्त सहकारी बैंको को उनके यहां जमा समिति निक्षेपित धनराशि रु0 124860.63 लाख की गारन्टी हेतु आवंटित की गयी।	रु0 20.00 लाख धनराशि समस्त सहकारी बैंको को उनके यहां जमा समिति निक्षेपित धनराशि रु0 124860.63 लाख की गारन्टी हेतु आवंटित की जायेगी, जिससे लगभग 358000 से अधिक समिति के सदस्यों को उनकी निक्षेप पर गारन्टी प्राप्त हुयी है।	प्रदेश के ग्रामीण बचत केन्द्रों की कुल 124860.63 लाख रु0 की जमा धनराशि की गारन्टी हेतु रु0 20.00 लाख की आवश्यकता होगी, जिससे लगभग 450000 से अधिक से सहकारी समिति के सदस्यों को उनकी निक्षेप पर गारन्टी प्राप्त होगी।	शासनादेश के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा निक्षेपों की गारण्टी हेतु फण्ड उपलब्ध कराने से केन्द्रों में बचत जमा करने हेतु जनता की धनराशि की सुरक्षा रहेगी।	वार्षिक
11	**किसान समृद्वि कार्ड योजना के माध्यम से दुर्घटना बीमा योजना**		0.01	0.00					
12	**पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रेषित) केन्द्रांश**	पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रेषित) केन्द्रांश	135.01	0.00	670 सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने हेतु	670 सहकारी समितियों के सापेक्ष 185 सहकारी समितियों का डेटा कम्प्यूटरीकरण कर पोर्टल पर अपलोड होने के साथ ही अवशेष 485 एमपैक्सों को पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।	सहकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य की समस्त पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रस्तावित योजना की अवशेष धनराशि निर्गत होने के उपरान्त समस्त एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।	पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण किये जाने से समस्त पैक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा डिजीटली रुप से अपने कार्यो का संचालन करेगीं। जिसके द्वारा पैक्स के कार्यो में पारदर्शिता, सटीकता व त्वरित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।	वार्षिक
13	**पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रेषित) राज्याश**	पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रेषित) केन्द्रांश	15.01	0.00	670 सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने हेतु	670 सहकारी समितियों के सापेक्ष 185 सहकारी समितियों का डेटा कम्प्यूटरीकरण कर पोर्टल पर अपलोड होने के साथ ही अवशेष 485 एमपैक्सों को पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।	सहकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य की समस्त पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रस्तावित योजना की अवशेष धनराशि निर्गत होने के उपरान्त समस्त एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।	पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण किये जाने से समस्त पैक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा डिजीटली रुप से अपने कार्यो का संचालन करेगीं। जिसके द्वारा पैक्स के कार्यो में पारदर्शिता, सटीकता व त्वरित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।	
14	**निबन्धन कार्यालय कम्प्यूटरीकरण के अर्न्तगत साप्टवेयर मरम्मत आदि हेतु**	साप्टवेयर मरम्मत, क्लाउड निर्माण, आदि केन्द्राश व राज्याशं टोकन मनी	0.08	0.00					

15	**निबन्धक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय / मरममत आदि (केन्द्र पोषित) केन्द्रांश**	निबन्धक / जिला स्तररीय सहायक निबन्धक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण हेतु हार्डवेयर क्रय	25.91	0.00	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा संचालित केन्द्रपोषित योजना Computerization of RCS office of States हेतु मुख्यालय निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधीनस्थ जनपदीय कार्यालयों में किये जाने हेतु दैनिक आवश्यक कार्य आदि को डिजीटल प्लेटफार्म पर लाये जाने हेतु सॉफ्टवेयर/पोर्टल का विकास, स्टोरेज एवं उसका रखरखाव किया जाना है।	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा संचालित केन्द्रपोषित योजना Computerization of RCS office of States हेतु मुख्यालय निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधीनस्थ जनपदीय कार्यालयों में किये जाने हेतु दैनिक आवश्यक कार्य डिजीटल प्लेटफार्म कार्य करेंगें।	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा संचालित केन्द्रपोषित योजना Computerization of RCS office of States हेतु मुख्यालय निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधीनस्थ जनपदीय कार्यालयों में किये जाने हेतु दैनिक आवश्यक कार्य डिजीटल प्लेटफार्म कार्य करेंगें।	कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण किये जाने से समस्त कार्यालय डिजीटली रुप से अपने कार्यो का संचालन करेगीं। जिसके द्वारा कार्यो में पारदर्शिता, सटीकता व त्वरित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।	
16	**निबन्धक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय / मरममत आदि (केन्द्र पोषित) राज्याशं**	निबन्धक / जिला स्तररीय सहायक निबन्धक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण हेतु हार्डवेयर क्रय	2.88	0.00	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा संचालित केन्द्रपोषित योजना Computerization of RCS office of State हेतु मुख्यालय निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधीनस्थ जनपदीय कार्यालयों में किये जाने हेतु दैनिक आवश्यक कार्य आदि को डिजीटल प्लेटफार्म पर लाये जाने हेतु सॉफ्टवेयर/पोर्टल का विकास, स्टोरेज एवं उसका रखरखाव किया जाना है।	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा संचालित केन्द्रपोषित योजना Computerization of RCS office of States हेतु मुख्यालय निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधीनस्थ जनपदीय कार्यालयों में किये जाने हेतु दैनिक आवश्यक कार्य डिजीटल प्लेटफार्म कार्य करेंगें।	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा संचालित केन्द्रपोषित योजना Computerization of RCS office of States हेतु मुख्यालय निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधीनस्थ जनपदीय कार्यालयों में किये जाने हेतु दैनिक आवश्यक कार्य डिजीटल प्लेटफार्म कार्य करेंगें।	कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण किये जाने से समस्त कार्यालय डिजीटली रुप से अपने कार्यो का संचालन करेगीं। जिसके द्वारा कार्यो में पारदर्शिता, सटीकता व त्वरित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।	
17	**सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु राज सहायता**	संस्थागत सेवामण्डल के कार्यों का सफल संचालन	15.00	0.00	रु0 20.00 लाख धनराशि संस्था के संचालन हेतु व्यय की गयी।	इस वित्तीय वर्ष में जिला सहकारी बैंकों के कुल 233 पदों पर आई0बी0पी0एस0 के माध्यम से परीक्षा सम्पन्न करायी गयी।	राज्य में कार्यरत 10 जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैक के कुल सीधी भर्ती के पदों पर आई0बी0पी0एस0 के माध्यम से परीक्षा कराये जाने एवं बैंक स्टॉफ की पदोन्नति व अन्य अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु वेतन भत्तों व अन्य सम्बन्धी व्ययों के भुगतान किया जाना है।	संस्थागत सेवामण्डल का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित होने पर जिला सहकारी बैक कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों का समय से निस्तारण किया जायेगा। जिससे जिला सहकारी बैंकों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकेगा।	वार्षिक

18	**जन औषधि केन्द्र हेतु राज सहायता**	सहकारी समितियों के माध्यम से जन औषधि केन्द्रो की सीपना	0.01	0.00	18 सहकारी समितियों में जन औषधि केन्द्रो की स्थापना की गयी है।	उक्त योजनान्तर्गत राज्य में कुल 24 सहकारी समितियों में जन औषधि केन्द्रो की स्थापना हो जायेगी ।	ग्रामीण स्तर पर जन औषधि केन्द्र के माध्यम से सस्ती दवाईया उपलब्ध करायी जायेगी ।	ग्रामीण स्तर पर जन औषधि केन्द्र के माध्यम से सस्ती दवाईया उपलब्ध करायी जायेगी । जन औषधि केन्दो के माध्यम से लगभग 1 लाख लोगों को लाभ प्राप्त होगा	वार्षिक
19	**दीनदयाल उपा0 सहकारिता किसान कल्याण योजना**	राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना किये जाने के उद्देश्य से	6000.00	0.00	रु0 6000.00 लाख धनराशि ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु सहकारी बैंकों को आवंटित की गयी। उक्त वर्ष कुल 126330 सदस्यों को लाभान्वित किया गया।	रु0 6000.00 लाख की धनराशि समस्त सहकारी बैंको व सहकारी समितियों द्वारा वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष ब्याज प्रतिपूर्ति सम्बन्धित बैंकों को आवंटित की गयी। इस वर्ष लगभग 195000 सदस्यों को लाभान्वित किया जाना है।	योजनान्तर्गत लगभग **रु0 1300.00 करोड** से अधिक का ब्याज रहित ऋण वितरित कर लगभग 185000 लाभार्थिओं को लाभान्वित किया जाना है। वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु रु0 100.00 करोड की धनराशि प्रस्तावित है। साथ ही **सशक्त उत्तराखण्ड** के परिदृश्य में उक्त योजना अन्तर्गत **अल्प/मध्यकालिक लक्ष्यो** की पूर्ति भी पूर्ण होगी।	उत्तराखण्ड राज्य में सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन लागत में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप कृषकों की आजीविक दोगुनी होगी।	वार्षिक
20	**राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (NCDC)**	सहकारी समितियों के आधारभूत ढाँचे का विकास कर उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न कलस्टर तैयार कर आजीविका संवर्धन के अवसर उपलब्ध कराना।	0.01	0.00	रु0 102.43 लाख धनराशि योजनान्तर्गत अनुदान स्वरुप वितरित की गयी।	रु0 4000.00 लाख धनराशि योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु वितरित ऋण के सापेक्ष ब्याज अनुदान अन्तर्गत व्यय किया जाना है। उक्त योजना में 40000 से अधिक कृषक परिवारो को सीधे लाभान्वित किया जाना है।	एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से संचालित राज्य सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित गतिविधियाँ यथा साइलेज/टी0एम0आर0 उत्पादन, अदरक–बीज उत्पादन, सेब संग्रहण एवं विपणन, सगन्ध पौध में डमस्क रोज, लेमन ग्रास उत्पादन, बेमौसमी सब्जी एवं मसालों के वृहद कलस्टर स्थापित करते हुये **45000** से अधिक कृषक परिवारो को सीधे लाभान्वित किया जाना है। साथ ही **सशक्त उत्तराखण्ड** के परिदृश्य में उक्त योजना अन्तर्गत अल्प/मध्यकालिक लक्ष्यो की पूर्ति भी पूर्ण होगी।	प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के आर्थिक ढाँचे के विकास करने एवं कलस्टरवार गतिविधियां संचालित किये जाने से कृषकों को रोजगार परक योजनाओं अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है।	वार्षिक

21	**मिलेटस मिशन योजना हेतु अनुदान**	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किसानों के उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करना।	50.00	0.00	उक्त वर्ष कुल 19146.45 कुन्तल मिलेट्स की खरीद कुल 7801 कृषकों से की गयी, जिस हेतु योजनान्तर्गत रु0 63.84 लाख धनराशि अनुदान स्वरुप वितरित की गयी।	रु0 637.03 लाख धनराशि कृषकों से स्थानीय उपज खरीद किये जाने व परिवहन अन्य मदों में व्यय किया जाना है। सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0, देहरादून द्वारा पर्वतीय मिलेट खरीद की खरीद कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर भुगतान स्थानीय कृषकों को किया जाना है।	कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों को उचित मूल्य में खरीद किये जाने हेतु लगभग 2500 कृषकों से लगभग 25000 कुन्तल मिलेटस खरीद किया जाना लक्षित है, जिसके उपरान्त मिलेटस की प्रसंस्करण एवं परिवहन पर आने वाली लागत की प्रतिपूर्ति हेतु रु0 65.00 लाख प्रस्तावित की गयी है।	कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों को मुख्यधारा के बाजारों तक पहुँचनें में हेतु मुख्य फसलें गेहूँ और चावल के अतिरिक्त स्थानीय फसलें जैसे रामदाना, मण्डुवा, झंगोरा इत्यादि फसलों का उचित मूल्य दिलाना एवं पर्वतीय कृषको की आय दोगुनी किया जाना।	वार्षिक
22	**मोटर साईकिल टैक्सी योजना अन्तर्गत अनुदान सहायता**	स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना	15.00	0.00	सहकारी बैकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु मोटर साईकिल, टैक्सी क्रय हेतु ऋण दिया जा रहा है,जिसके ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य सारकार द्वारा की जा रही है। 213 व्यक्ति लाभन्वित किये गये हैं।	उक्त योजनान्तर्गत मार्च 2025 तक कुल 280 लाभार्थिओं को लाभन्वित किया जाना है।	उक्त योजनान्तर्गत लगभग 186 लाभार्थिओं को कुल रु0 120.00 लाख का ऋण वितरित किया जाना है। जिस हेतु वितरित ऋण व गत वर्षो में वितरित ऋण की ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 375 ऋणियों को लाभान्वित किया जाना है। जिस हेतु रु0 15.00 लाख की धनराशि की आवश्यकता है।	375 से अधिक लाभार्थी लाभान्वित होगें तथा दूरस्थ क्षेत्र के लिए हल्के व छोटे वाहनो से परिवहन की सुविधा प्राप्त होगी।	वार्षिक
23	**सहकारी क्षेत्र विकास (राठ विकास अभिकरण) नई योजना**	जनपद पौडी गढवाल के राठ क्षेत्र में पशुपालन, मत्स्य, कुकुट पालन व कृषि आदि गतिविधियों के लिए सहायता	15.60	0	0	0	वर्तमान में अभिकरण के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले कुल 367 सदस्यों द्वारा अंशधन के रुप में रु0 15,58,000.00 (पन्द्रह लाख अठ़ावन हजार रूपये मात्र) अभिकरण में जमा है, जिस हेतु जमा अंशधन के आधार पर सम्बन्धित सदस्यों को लाभान्वित किया जाना है।	जनपद पौडी गढवाल के राठ विकास अभिकरण, थैलीसैण पौडी गढवाल के द्वारा राठ क्षेत्र मे निबन्धित स्वायतत सहकारिताओं के माध्यम से राठ क्षेत्र के निवासियों को कृषि एवं कृषियेत्तर कार्यो को सम्पादित कर सक्षम बनाये जाने का प्रयत्न किया जायेगा।	
24	**निबन्धक कार्यालय हेतु अनुदान**	मुख्यालय का कार्यालय स्थापित करने हेतु कार्यालय का निर्माण, साज सज्जा अन्य व्यवस्थायें किये जाने	0.00	2000.00	0.0	0.00	राज्य स्तर पर सहकारिता विभाग कर्यालय की स्थापना । सहकारिता से सम्बन्धित राज्य स्तरीय सस्थओं के एक ही स्थापना पर कार्यालय उपलब्ध कराना । आम जनता को सहकारिता से सम्बन्धित कार्य हेतु एक ही स्थान उपलब्ध कराना	सहकारिता से सम्बन्धित राज्य स्तरीय कार्यालय / शीर्ष सस्थओं के मुख्यालय एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से आम नागरिको को सुविधा प्राप्त होगी ।	वार्षिक

25	**राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु ऋण (NCDC)**	सहकारी समितियों के आधारभूत ढाँचे का विकास , विभिन्न कलस्टर तैयार कर आजीविका संवर्धन के अवसर उपलब्ध कराना।	0.00	0.01	एन0सी0डी0सी0 द्वारा सहकारी समितियों को आधारभूत ढाचें हेतु रू0 180.00 करोड का ऋण उपलब्ध कराया गया है	एन0सी0डी0सी0 द्वारा सहकारी समितियों को आधारभूत ढाचें हेतु गत ऋण सहित कुल रू0 280.00 करोड का ऋण उपलब्ध कराया गया है।	एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से संचालित राज्य सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से गतिविधियाँ संचांलित की गयी है। उक्त गतिविधियों एवं अन्य आधारभूत संरचना हेतु परियोजनानुसार धनराशि ऋण स्वरुप वितरित की जानी है।	प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के आर्थिक ढाँचे के विकास करने एवं कलस्टरवार गतिविधियां संचांलित किये जाने से कृषकों को रोजगार परक योजनाओं अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है।	वार्षिक
26	**उपभोक्ता सहकारी संघ को कार्यशील पूंजी के रुप में ऋण**	सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न उपभोक्ता सम्बन्धी कार्य किये जाने हैं।	0.00	0.01	राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को विभिन्न उपभोक्ता सम्बन्धी कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है	राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को विभिन्न उपभोक्ता सम्बन्धी कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है,	राज्य सहकारी उपभोक्ता सघं द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कम मूल्य पर उपभोक्ता बस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचाया जा रहा है।	राज्य सहकारी उपभोक्ता सघं द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कम मूल्य पर उपभोक्ता बस्तुएं उपलब्ध होगी जिससे 1.00 लाख उपलभोक्ता लाभान्वित किये जायेगे।	वार्षिक
27	**दीनदयाल उपा0 सहकारिता किसान कल्याण योजना (अनुसूचित जाति हेतु)**	राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना किये जाने के उद्देश्य से राज्य के अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु ब्याज रहित ऋण वितरण	1800.00	0.00	रू0 1564.00 लाख धनराशि की ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु सहकारी बैंकों को आवंटित की गयी। उक्त वित्तीय वर्ष में 21634 सदस्यों को लाभान्वित किया गया।	रू0 1800.00 लाख धनराशि समस्त सहकारी बैंको व सहकारी समितियों द्वारा वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष लगभग 33000 अनुसचित जाति के सदस्यों को ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित बैंकों को आवंटित किया जाना है।	योजनान्तर्गत लगभग **रू0 220.00 करोड** से अधिक का ब्याज रहित ऋण वितरित कर लगभग 48000 लाभार्थिओं को लाभान्वित किया जाना है। वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु रू0 22.00 करोड की धनराशि प्रस्तावित है।	उत्तराखण्ड राज्य में सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन लागत में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप कृषकों की आजीविक दोगुनी होगी।	वार्षिक
28	**दीनदयाल उपा0 सहकारिता किसान कल्याण योजना (अनुसूचित जन जाति हेतु)**	राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना किये जाने के उद्देश्य से राज्य के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु ब्याज रहित ऋण वितरण	700.00	0.00	रू0 517.44 लाख धनराशि की ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु सहकारी बैंकों को आवंटित की गयी। उक्त वित्तीय वर्ष में 7530 सदस्यों को लाभान्वित किया गया।	रू0 700.00 लाख धनराशि समस्त सहकारी बैंको व सहकारी समितियों द्वारा वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष 10000 अनुसचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित बैंकों को आवंटित किया जाना है।	योजनान्तर्गत लगभग **रू0 57.00 करोड** से अधिक का ब्याज रहित ऋण वितरित कर लगभग 13000 लाभार्थिओं को लाभान्वित किया जाना है। वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु रू0 7.00 करोड की धनराशि प्रस्तावित है।	उत्तराखण्ड राज्य में सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन लागत में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप कृषकों की आजीविक दोगुनी होगी।	वार्षिक

29	**उत्तराखण्ड को–ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन लि0 अन्तर्गत सीड कैपिटल हेतु आर्थिक सहायता**	रेशम उद्योग के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। रेशम उत्पादाको का प्रशिक्षण, रेशम क्रय–विक्रय केन्द्रो की स्थापना आदि	0.00	500.00	0	0	उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन लि0 द्वारा प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 नये रेशम कलस्टरों का निर्माण, रिटेल काउन्टरों की स्थापना, विपणन हेतु प्रतिवर्ष 2 क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया जाना है साथ ही विपणन रणनीति के तहत विज्ञापन फिल्म का निर्माण, प्रचार प्रसार, प्राकृतिक रेशों का यार्न बैंक की स्थापना, रेशम प्रशिक्षण विद्यालय संचालन आदि कार्य कराये जाने हैं।	उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन लि0 द्वारा संघ के अन्तर्गत निबन्धित प्राथमिक रेशम सहकारी समितियों के लगभग 6500 से अधिक सदस्यों के माध्यम से विभिन्न रेशम उत्पाद तैयार कर उनका विपणन किया जाना है।	वार्षिक
			11790.52	**2500.02**					
	महायोग		**16146.60**	**2500.02**	**18646.62**				

ऑउटकम बजट (Outcome Budget) 2025–26

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0–01, 02, 03

विभाग का नाम– सहकारिता विभाग

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूपः–

क्र. सं.	SDG संकेतक	1.4.2024 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2025 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2025–26
1.	**1.1.1 एवं 8.1.1**	वर्ष 2017 से आरम्भ दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत लघु, सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन हेतु रू0 3.00 लाख एवं स्वयं सहायता समूहों को रू0 5.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रू0 894.28 करोड़ का ब्याज रहित ऋण कुल 126330 लाभार्थियों को वितरित किया गया।	योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रू0 1296.00 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जाना है। नवम्बर 2024 तक कुल 103988 लाभार्थियों को रू0 736. 62 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया गया है।	उत्तराखण्ड राज्य में सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन लागत में कमी आएगी जिसके फलस्वरूप कृषकों की आजीविका दोगुनी होगी।
2.	**8.1.1**	वर्ष 2020–21 से आरम्भ मोटर–साईकिल टैक्सी योजना के अन्तर्गत राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को एक स्थल से दूसरे स्थल तक पहुँचाने के लिए इस योजनान्तर्गत ऋण वितरित किया जाता है जिस पर 2 वर्ष को ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 263.90 लाख का ऋण 230 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है।	उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 280 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।	उक्त योजनान्तर्गत लगभग 186 लाभार्थियों को कुल रू0 120.00 लाख का ऋण वितरित किया जाना है। जिस हेतु वितरित ऋण पर ब्याज एवं गत दो वर्षो में वितरित ऋण की ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जानी है।
3.	**2.3.12**	पर्वतीय क्षेत्रो में उर्वरक पर राज सहायता योजनान्तर्गत रू0 125.00 लाख धनराशि कुल 117467.0361 मै0 टन उर्वरक वितरण पर परिवहन अनुदान दिया गया।	सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 340000 कृषकों को कुल 171800 मै0 टन उर्वरक वितरण कर परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त धनराशि का व्यय किया जाना है।	उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान दर पर उर्वरक विक्रय हेतु समिति बिक्री केन्द्रों तक उर्वरक आपूर्ति के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के पश्चात राज्य के लगभग 345000 कृषकों को लाभान्वित किया जाना है।
4.	2.3.13	मिलेट्स मिशन योजनान्तर्गत वर्ष में कुल 1914.45 कुन्तल मिलेट्स की खरीद कुल 7801 कृषकों से की गयी, जिस हेतु योजनान्तर्गत रू0 63.84 लाख धनराशि अनुदान स्वरूप वितरित की गयी।	रू0 637.03 लाख धनराशि कृषकों से स्थानीय उपज खरीद किये जाने व परिवहन अन्य मदों में व्यय किया जाना है। सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0, देहरादून द्वारा पर्वतीय मिलेट खरीद कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर भुगतान स्थानीय कृषकों को किया जाना है।	कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों को मुख्यधारा के बाजारों तक पहुँचने में हेतु मुख्य फसलें जैसे रामदाना, मण्डुवा, झंगोरा इत्यादि फसलों का उचित मूल्य दिलाना एवं पर्वतय कृषको की आय दोगुनी किया जाना।